फाइल नं0-71-1002(002)/28/2021

81/2023/I/324960/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 31 मई, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में पी0एम0एस0एस0वाई0 योजनान्तर्गत नवनिर्मित सुपर स्पेशियिलिटी ब्लाक के संचालन में जनित होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के पत्र संख्या-892/एम0डी0/2023, दिनांक 21.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) के अंतर्गत नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक (भवन) के संचालन में जनित होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु वांछित धनराशि रू0 31,36,080.00 की प्रशासनिक एंव वित्तीय सवीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेजों एंव सम्बद्ध चिकित्सालयों एंव निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण के वेतनादि एंव आवश्यक व्ययो के वहन हेतु शासनादेश संख्या-63/2023/I/302225/2023-71-1002(002)/28/2021 , दिनांक 17.04.2023 द्वारा राजस्व मद में कुल रू0 159777.02 लाख की धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण के निर्वतन पर कतिपय शर्तो के अधीन रखी गयी। उक्त शासनादेश द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल हेतु 42-अन्य व्यय मद में रू0 800.00 लाख सम्मिलित है।

3- इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, कानपुर के उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 21.02.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17.04.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल हेतु 42-अन्य व्यय मद में रक्षित धनराशि रू0 800.00 लाख में से राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में पी0एम0एस0एस0वाई0 योजनान्तर्गत नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक के संचालन में जनित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु रू0 31,36,080.00 अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4- शासनादेश संख्या-63/2023/1/302225/2023-71-1002(002)/28/2021, दिनांक 17.04.2023 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

संख्या/ तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।